न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निग – 3336 – II – 16

(73)

संजय कुमार कापड़ी पिता स्व.श्री घनश्यामदास कापड़ी निवासी घनश्याम बिहार कालोनी सतना म0प्र0..निगराकार

बनाम

डा.मीना अवधिया पत्नी श्री विद्याप्रकाश अवधिया उम्र46वर्ष निवासी संग्राम कालोनी सतना म0प्र0..........गैरनिगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा50 भू0रा0 संहिता 1959, विरुद्ध न्यायालय कलेक्टर सतना जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्रकरण कमांक 156अ74/15-16में पारित आदेश दिंनाक 05.09.16,

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्न लिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका/ गैरनिगराकार द्वारा मौजा कोलगवां की आराजी नम्बर 95/1/2/6 का जुज रकवा 30 वाई41.9 =1200वर्गफिट के प्लाट नम्बर 7 के आवास हेतु संजय कुमार तनय घनश्यामदास कापड़ी से जमीन क्रय किया तथा संजय कुमार कापड़ी से ही दिनांक 06.01.05 को एक अनुबंध पत्र इस आशय का निष्पादित किया गया कि उक्त भूखण्ड पर भूतल एवं प्रथम तल का मकान निर्माण ... 000/- तेरह लाख रुपये में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 3336–दो/16 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–4–17	आवेदक के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । उनके द्वारा न्यायालय कलेक्टर सतना के प्र0क्र0 156/अ–74/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 05.09.16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत यह निगरानी प्रस्तुत की है । 2/ प्रकरण के संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा मौजा कोलगवा की विवादित आराजी नम्बर 95/1/2/6 का जुज रकबा 30 वाई 41.9 – 1200 वर्गफिट के प्लाट नम्बर 7 के आवास हेतु आवेदक संजय कुमार पिता स्व0 श्री घनश्यामदास कापड़ी से जमीन क्रय किया तथा संजय कुमार कापड़ी से ही दिनांक 06.01.05 को एक अनुबंध पत्र इस आश्य का निष्पादित किया गया कि उक्त भूखण्ड पर भूतल एवं प्रथम तल का मकान निर्माण कर कुल कीमत 13,00,000/– (तेरह लाख रुपये मात्र।) में तैयार कर गैरनिगराकार को निगराकार सौंपेगा उक्त अनुबंधित रकम किस्तों में अदा करने का अनुबंध हुआ था तथा सम्पूर्ण राशि 08 माह के अन्दर अदा की जानी थी। अनावेदिका द्वारा उक्त राशि समय सीमा के अन्दर आवेदक को नहीं दी गई, जिसके कारण आवेदक द्वारा उक्त भवन का निर्माण पूर्ण नहीं कराया जा सका और न ही गैरनिगराकार को कब्जा ही प्राप्त हो सका है। दिनांक 16.03.16 को गैरनिगराकार द्वारा कलेक्टर, सतना के समक्ष एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया कि	

आवेदक संजय कुमार कापड़ी के विरूद्ध कार्यवाही की जाये तथा गैरनिगराकार को मकान का कब्जा दिया जाये। उक्त शिकायती आवेदन का लिखित जवाब आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया । अनावेदिका द्वारा उल्लेखित तथ्यों का बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया गया तथा यह मांग की गई कि अनावेदिका द्वारा आवेदक को परेशान करने की नियत से झूठा एवं बनावटी आवेदन पत्र पेश किया गया है, जिसे निरस्त किया जाये। इसके पश्चात आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालया के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र दिनांक 23.08.2016 को प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार के बाहर हाने से सुनवाई योग्य नहीं है तथा निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया। आवेदक के उक्त आवेदन–पत्र का कोई जवाब अनावदिका द्वारा नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 05.09.2016 को आवेदक के आवेदन पत्र पर तर्क श्रवण कर आदेश पारित किया गया कि उक्त आवेदन की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त है। इसी प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 05.09.2016 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य, प्रमाणों के विपरीत होने से निरस्तगी योग्य है। उक्त आदेश पत्रिका में आवेदक को नोटिस जारी की गई एवं दिनांक 28.03.2016 को आवेदक स्वतः उपस्थित हुआ तथा दिनांक 06.06.2016 को आवेदक ने अपना जवाब प्रस्तुत किया एवं दिनांक 17.08.2016 को अनावेदिका द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदक द्वारा कालोनाइजर

लायसेन्स प्रस्तुत कराने की मांग की गई । दिनांक 23.08.2016 को आवेदक द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु पर गम्भीरजा पूर्वक विचार न करते हुये सरसरी तौर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है। अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2016 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदिका/कैबियटकर्ता अधिवक्ता श्री आर0एस0 सेंगर उपस्थित। उनके द्वारा कैबियट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सन्दर्भित प्रकरण में कलेक्टर सतना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्रकरण जिसमें आवेदक/कैबियटग्रहिता द्वारा प्रस्तुत निगरानी/स्थंगन आवेदन पर प्राथमिक तौर पर कैबियटकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किया जावे ।

5/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण में उपलब्ध आलोच्य आदेश दिनांक 05.09.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने से यह विदित होता है कि कलेक्टर सतना द्वारा आलोच्य विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 156/अ–74/2015–16 में आयुक्त नगर निगम, सतना से संबंधित नस्ती प्राप्त किये जाने का आदेश दिया गया है तथा प्रकरण में पेशी दिनांक 14.09.2016 नियत की गई थी। कलेक्टर सतना द्वारा अपने प्रकरण में कोई निर्णय पारित नहीं किया है, केवल नस्ती की भेजे जाने हेतु उल्लेख है। लिहाज़ा इस न्यायालय में नियत की गई, निगरानी को सुने जाने का कोई ठोस एवं पर्याप्त आधार नहीं है। उभयपक्ष को निम्न न्यायालय में अपना पक्ष

रखने का अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं होने से यह निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है।

6/ अतएव प्रस्तुत निगरानी में सुनने योग्य पर्याप्त आधार न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0ऐस0 अली)
सदस्य